

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

**असाधारण**  
**EXTRAORDINARY**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)**  
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं० 205] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 1983/वैशाख 10, 1905  
No. 205] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1983/VAISAKHA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

**उद्योग मंत्रालय**

**(औद्योगिक विकास विभाग)**

**आदेश**

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1983

का.आ. 347(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./83 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 618(अ)/18कक/उ.वि.  
वि.अ./79 तारीख 31 अक्टूबर, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश  
कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सचिव, बन्द और रुग्ण उद्योग विभाग  
जिसे अवर सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार,  
कावकन्ता कहा जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकृत, व्यक्ति  
कहा गया है) को मैंगर्स श्री सरस्वती प्रैस लिमिटेड, 11 बंगलूर ट्रक रोड,

बोधधरिया, कलकत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबंध 31 अक्टूबर, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 768(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./82, तारीख 30 अक्टूबर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 30 अप्रैल, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का उक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा छह मास की और अवधि के लिए बना रहना चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 66) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त आदेश, 30 अप्रैल, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2(15)/79-सी यू एम्.]

ए पी सरवन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 30th April 1983

**S.O. 347(E)/18AA/IDRA/83.**—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 618(E)/18AA/IDRA/79, dated the 31st October, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal Calcutta (hereinafter referred to as the said authorised person), to take over the management of Messrs Sree Saraswati Press Limited, 11, Barrackpore Trunk Road, Belgharia, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of three years from the 31st October, 1979

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 768(E)/18AA/IDRA/82, dated the 30th October, 1982, the duration of the said order was extended upto and inclusive of 30th April, 1983.

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking

by the said authorised person should continue for a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 30th October, 1983.

[F. No. 2(15)/79-CUS.]  
A. P. SARWAN, Lt. Secy.